

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालिअर  
कैम रीवा म.प्र.

215  
21-4-14



Rs 20/-

R-1583-11/14

1. बाला प्रसाद तन्म रामावतार राम ब्रा. उम्र 65 वर्ष,
  2. मुन्नालाल तन्म रामावतार राम ब्रा. उम्र 60 वर्ष
  3. श्रीमतीशोभा पाण्डेय पत्नी स्व. सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय उम्र 45वर्ष,
  4. प्रीती पाण्डेय पुत्री स्व. श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय उम्र 25 वर्ष,
- सभी निवासी ग्राम तिवारगवां, तहसील घुरहट, जिला सोधी म.प्र. &

पुनरीक्षण कर्ता गण

मि. एच. सी. म. प्र. अ. के  
आज दिनांक 21.4.14 के  
प्रस्तुत किया गया।

सिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1. गंगा प्रसाद तन्म मुण्डज्जाम ब्रा. निवासीग्राम तिवारगवां, तहसील घुरहट  
जिला सोधी म.प्र. &
2. मध्य प्रदेश शासन

गैर पुनरीक्षणकर्तागण/उत्तरवा  
गण

प्रपरा हे  
22-5-14

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध न्यायालय अपर  
कलेक्टर सोधी के प्र.क्र.2 276/नगरानी/2011-  
2012 आदेश दिनांक 29.3.2014 जिसके द्वारा  
न्यायालय अपर कलेक्टर साहब सोधी, जिला सोधी  
म.प्र. & ने नायब तहसीलदार तहसील घुरहट  
के प्र.क्र.58/अ-19/92-93 आदेश दिनांक-  
24.9.1993 जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण के  
पक्ष में व्यवस्थापन स्वीकार किया गया था  
निरस्त कर दिया गया है।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. म.रा. सं. 1959

...2..

आवेदनकर्ता के  
द्वारा प्रपरा  
M. Pr.  
21-6-14

बाला प्रसाद


[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक R-1583-II/14

जिला-सीधी

बालाराम ब्रा0/गंगा प्रसाद ब्रा0

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 276/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	

